LOK SABHA

Wednesday, July 13, 1977/Asadha 22, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Orders for arrest and release of persons

*445. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the nature of the orders issued orally, through wireless, telephone or some other medium by the Central Government for the arrest of workers, employees and othehr persons to the State or District Administration from the 24th to 30th June, 1975 after the promulgation of emergency in the country ;

(b) the number of such orders;

(c) whether a list of all the arrested persons, under MISA or under any other rule, used to be sent to the Central Government; and

(d) whether the orders of their release were issued by the Central Government, or the State or the District Administration were competent to order their release?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). A Wirelss message was sent to all State Governments and Union Territory Administrations on 26th June, 1975, advising them, *inter-alia*, to make preventive arrests to the extent necessary to prevent formation of crowds or processions or any from of agitation likely to lead to violence in the context of emergency. Another message was sent on the same day, advising them to consider arrest/ detention of all influential and active elements of the Bharatiya Jana Sangh and RSSS A message was also issued on 28th June, 1975 to the Chief Ministers, requesting them that the Minister for Information & Broadcasting be consulted in case it was considered necessary by them to arrest editors of newspapers or journalists. Government have no record of orders issued orally or by telephone in this behalf. However, it is well-known that certain important leaders were arrested even prior to the issue of formal instructions on 26th June, 1975.

(c) As required under the provisions of MISA the State Governments furnished to the Central Government particulars of persons detained under the Act. There is no such provision under the Defence and Internal Security of India Rules, 1971.

(d) The detaining authorities were competent to revoke the detention orders passed by them as per provisions of the law. However, the Central Government had issued guidelines in October 1975 by which the State Governments were requested, *inter alia*, to consult the Central Government before revoking any detention order made under MISA by invoking section 16A of the Act.

श्री निर्मल चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी माता जी का आशीर्वाद ले कर आये हैं, हम सब की शुभकामनायें भी आप स्वीकार करें।

माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि 26 जून के आदेश तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के थे। पहली श्रेणी जिनके किसी कृत्य से हिंसा भड़कने की सम्भावना हो। ऐसी श्रेणी में भूतपूर्व सरकार ने आदरणीय जयप्रकाश जी, प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई, तथा माननीय गृह मंत्री जी को भी रख दिया। दूसरी श्रेणी में जनसंघ के पदाधिकारी और तीसरी श्रेणी में आर० एस० एस० के पदाधिकारी। आपके उत्तर से और तत्कालीन परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि 25 तारीख की रात को ही सभी प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी की 12 जून को कुर्सी टूट गई थी, और फ़िक्शनल इमरजेंसी लगाकर . . .

MR. SPEAKER: Come to the question.

श्री निर्मल चन्द्र जैन : फ़िक्शनल इमरजेंसी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस पर मंत्रि परिषद् की सलाह और ऐप्रूवल बाद में ली गई थी और इमरजेंसी पहले प्रोक्लैम की गई थी। तो यह फिक्शनल इमरजेंसी ऐण्ड नाट कांस्टीट्यूशनल इमरजेंसी इसके डंडे पर रखने के प्रयत्न में माननीय गृह मंत्री द्वारा वर्णित संदेशों के पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्णित संदेशों के पहले ही आदेशात्मक संदेश भेजे गये थे जिनके रेकार्ड्स मेलिशसली हटाये या नष्ट कर दिये गये हैं। सरकार का इस पर क्या मत है? और इन सभी गैर-कानूनी गिरफ्तारियों के खर्चे को सरकार सरचार्ज के रूप में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और गृह मंत्री आदि से वसूल करने के बारे में कोई विचार कर रही है, या क्या करने को तैयार है?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने दो बातें जाननी चाही हैं, एक तो मेरा मत, तो गवर्नमेंट मत दिया नहीं करती है। जहां तक सरचार्ज के तौर पर वसूल किया जाये, इस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया है।

SHRI C. M. STEPHEN: On a point of order. It is just for your guidance. Let us be guided by rules. I did not raise it earlier because you had admitted the question. This is under rule 41 (xxii), which says:

> "it (the question) shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the tribunal or commission or court of enquiry".

Justice Shah who is presiding over the Commission has made it clear that it is within his jurisdiction to go into the incidents precedent to the proclamation of Emergency and those following the proclamation of Emergency—justification for the proclamation of Emergency and the steps taken following the proclamation of Emergency. This matter concerns proclamation of Emergency and steps taken thereunder. Strictly speaking, this question is not

permissible, but you have permitted it. When supplementaries are asked, the point I have raised may be taken care of. Question 447 will also be covered by this objection as the matter is pending before an Inquiry Commission.

MR. SPEAKER: After all, it does not bar the House from discussing it. This information also will go to the Commission; whatever information is given here will also go to the Commission. The only thing is, we have to be very careful. That is all. The House is not barred from discussing the Emergency totally; there cannot be a blanket bar like this. As I said, the only thing is that we will have to be careful. That is all. Otherwise, it would mean sutting out the House from discussing the whole of Emergency. It cannot be done. The House cannot be shut out from discussing the whole of Emergency.

SHRI VASANT SATHE: Discussing the whole of Emergency is not shut out; only the matters that are being covered by the Inquiry Commission will be shut out.

MR. SPEAKER: Now Mr. Jain will ask his second question.

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है, जिसमें मैंने यह कहा हैं कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जो संदेश इस उत्तर में मैंशन किया गया है, इसके पहले और भी संदेश भेजा गया था। वह रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, या तो वह नष्ट कर दिया गया है या हटा दिया गया है। इसका उत्तर दिया जाये।

श्री चरण सिंह : यह गवर्नमेंट तो रिकार्ड के आधार पर ही कुछ कह सकती है। तो कोई रिकार्ड नहीं है, यह मैं कह चुका हूं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मीसा के प्रावधानों में या तो केन्द्रीय सरकार, या प्रदेश सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्वयंभू संतोष, संबजैक्टिव सैटिसफैक्शन जरूरी है। मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों के सम्पादकों या पत्रकारों को गिरफ्तार करने की बाबत तत्कालीन सूचना मंत्री की सलाह आवश्यक कर दी गई थी। प्रश्न यह है कि श्री कुलदीप नैयर और इंदौर के स्वदेश समाचार पत्र के पूरे स्टाफ को क्या श्री विद्याचरण शुक्ल की सलाह पर गिरफ्तार किया गया था ? और जो नहीं गिरफ्तार किये गये थे वह भी क्या श्री शुक्ल की सलाह पर नहीं किये गये थे ? ऐसे कितने लोग हैं ?

श्री चरण सिंह : इस के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि इनफ़र्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर ने यह सूचना दी थी कि जो जर्नलिस्ट और एडीटर इमर्जेंसी के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि इनफ़र्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर ने इस बारे में जो लिस्ट दी थी, क्या वह मंत्री महोदय के पास है और उस लिस्ट के अनुसार कितने जर्नलिस्ट और एडीटर गिरफ्तार किये गये थे।

श्री चरण सिंह : मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस का जवाब दे सकूं। मैंने कहा है कि 28 जून को यहां से आर्डर गया कि कोई एडीटर या जर्नलिस्ट मिनिस्टर फ़ार इनफ़र्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग की अनुमति के बिना गिरफ्तार न किया जाये। माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि कितने आदमी गिरफ्तार किये गये। उस के लिए नोटिस की आवश्यकता हैं।

SHRI K. LAKKAPPA: The hon. Home Minister may kindly forget for a moment about the emergency and the MISA. As we see, the anti-social

activities are on the increase now. What is the law that he is going to use now to prevent the activities of the anti-social elements? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, order; the Question relates to the period from 24th to 30th June, 1975. If you desire, you can put a separate question on this subject.

श्री छविराम अर्गल : 26 जून, 1975 के बाद आपातकाल के दौरान विभिन्न मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्धित बहुत से विद्यार्थियों को मीसा आदि कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उन के कैरेक्टर-रोल ख़राब कर दिये गये, जिस के कारण आज भी उन को प्रवेश नहीं मिल रहा है । सामने बैठे हुए लोगों के कुकृत्यों की वजह से आज देश भर में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि उन के कैरेक्टर-रोल में सुधार कर के उन्हें प्रवेश दिलाया जाये ?

MR. SPEAKER: I think, it is a repetition of the question. I do not think any supplementary is going to throw any additional light.

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि विद्यार्थियों के कैरेक्टर-रोल खराब कर दिए गए । मुझे नहीं मालूम है कि विद्यार्थियों के भी कैरेक्टर-रोल होते हैं ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने बताया है कि सम्पादकों को गिरफ्तार करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुमति लेना आवश्यक था । राजस्थान में तीन पत्रकारों को, जो मेरे साथ जेल में थे, इसीलिए गिरफ्तार किया गया था कि वे तत्कालीन सरकार के विरुद्ध लिखते हैं । इस सम्बन्ध में मैं साप्ताहिक आर्गनाइजर के सम्पादक, श्री मलकानी, का जिक्र करना चाहता हूं । क्या इन लोगों की गिरफ्तारी करने की अनुमति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से ली गई थी ?

MR. SPEAKER: Please don't think that the Minister will have information on all these questions. It looks as if the whole House is anxious to ask questions on this subject. At some stage, we will have to go to the more constructive questions, which are there, like planning questions and economic questions. These are very important. The moment, you say emergency, the whole Hause on this side is anxious to ask questions. You forget about planning, employment and economic issues. Let us not do that.

आन्तरिक खतरे के समर्थन में दस्तावेज तैयार करना

*447. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आपात-स्थिति की घोषणा के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने आन्तरिक खतरे के समर्थन में मंत्रालय से कुछ दस्तावेज तैयार कराये और यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है और क्या वे दस्तावेज सभा पटल पर रखे जायेंगे ;

(ख) क्या तत्कालीन गृह सचिव पर 12 जून, 1975 से 25 जून, 1975 के के बीच उक्त दस्तावेज तयार करने के लिए दबाव डाला गया था ;

(ग) क्या तत्कालीन गृह सचिव का केवलमात्र इसी कार्य (आन्तरिक खतरे के दस्तावेज) को तैयार कराने के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया था; और

(घ) क्या भारत सरकार लोकतंत्र के भविष्य को समाप्त करने वाले ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने